न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2023 / 19 **दायर दिनांक 20.06.2023**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू जिला चूरू (राजस्थान) –सायल–

बनाम

श्यामसुन्दर पुत्र श्री किशनलाल जाति अग्रवाल उम्र 42 साल निवासी वार्ड नम्बर 12 राजगढ़ पुलिस थाना राजगढ़ जिला चूरू।

–गैरसायल–

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल।**
2. **गैरसायल स्वयं उपस्थित।**

निर्णय **दिनांक : 17.09.2025**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल श्यामसुन्दर पुत्र श्री किशनलाल जाति अग्रवाल उम्र 42 साल निवासी वार्ड नम्बर 12 राजगढ़ पुलिस थाना राजगढ़ जिला चूरू का रहने वाला है जो अवैध जुआ सट्टा करने का आदी है, एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो सार्वजनिक स्थान पर सरेआम सट्टा की खाईवाली कर गरीब तबके के लोगों को लालच देकर आम जनता का आर्थिक शोषण करता है। जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी गम्भीर हैं, मगर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है, जिस कारण कई बार पकड़ में नहीं आता है। ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। गैरसायल की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल श्यामसुन्दर के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है।

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	फैसला अदालत
1.	177 / 23.06.2018	13 आरपीजीओ	राजगढ़	24.07.2018	सजा 24.07.2018
2	273 / 12.08.2018	13 आरपीजीओ	राजगढ़	27.03.2019	सजा 27.03.2019
3.	193 / 16.04.2023	13 आरपीजीओ	राजगढ़	—	—

इस प्रकार से गैर सायल श्यामसुन्दर की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं एवं गरीब तबके के लोग अपनी सम्पति की सुरक्षा के बारे में आशंकित हैं। इसकी ऐसी इसकी ऐसी गतिविधियां / कार्य जिले व जिले के किसी भाग में सम्पति को संत्रास खतरा हो रहा है या होने की संभावना है, जिससे समाज के नवयुवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू ने गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना अपराध स्वीकार करता है। प्रार्थी भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः नहीं करेगा। प्रार्थी ने पूर्व में घटित अपराध भूलवश कर लिया। अतः प्रार्थी की ओर नरमी का रूख अपनाकर लोक अदालत की भावना से प्रकरण को इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमाया जावे।

जवाब प्रस्तुत होने पर बहस सुनी गई।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू ने बहस में कहा कि गैरसायल के विरूद्ध 13 आरपीजीओ के तहत 02 बार सजा से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 13 आरपीजीओ पुलिस थाना राजगढ़ के तहत 02 बार सजा से दण्डित किया जा चुका है इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल श्यामसुन्दर पुत्र श्री किशनलाल जाति अग्रवाल उम्र 42 साल निवासी वार्ड नम्बर 12 राजगढ़ पुलिस थाना राजगढ़ जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 07 दिवस के लिए जिले से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ जिला चूरू गैरसायल को थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू की देखरेख में 07 दिवस के लिए रहेगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ जिला चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)